राजस्थान सरकार
बाल अधिकारिता विभाग
20/198, कावेरी पथ, सेक्टर–2, मानसरोवर, जयपुर
फोन नं.– 0141-2399335, 2399336, ई–मेल – dcr.raj@rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ 32(01)(10)/बा.अ.वि./नेहरू पुरस्कार नियम/2021/ 11866 दिनांक: 01-07-2021

आदेश

विषय – नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार नियम के क्रियान्वयन के संबंध में।

बाल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवी संस्थाओं, हितधारकों, भामाशाहों एवं बाल देखरेख संस्थान संचालित करने वाली राजकीय/गैर राजकीय संस्थाओं के सम्मान एवं प्रोत्साहन हेतु दिनांक 25.06.2021 को मंत्रिमण्डल द्वारा जारी आज्ञा 79/2021 से अनुमोदित **"नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार नियम"** को लागू किया जाता है। नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार नियम की प्रति **परिशिष्ट–1** पर संलग्न है।

यह आदेश वित्त विभाग, राजस्थान की आई.डी. संख्या 162100011 दिनांक 01.03.2021 के अनुसरण में जारी किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(महेश चन्द्र शर्मा)
आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांक : एफ 32(01)(10)/बा.अ.वि./नेहरू पुरस्कार नियम/2021/11867-12153 दिनांक: 01-07-2021
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान।
3. विशिष्ट उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. समस्त जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला बाल संरक्षण इकाई।
8. समस्त पुलिस उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक।
9. समस्त सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग।
10. समस्त अधीक्षक, राजकीय/गैर राजकीय बाल देखरेख संस्थान।
11. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार
बाल अधिकारिता विभाग

नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार नियम

1. उद्देश्य–

(i) राज्य सरकार द्वारा यह सम्मान बाल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवी संस्थाओं, हितधारकों, भामाशाहों एवं बाल देखरेख संस्थान संचालित करने वाली राजकीय/गैर राजकीय संस्थाओं को प्रदान किया जायेगा।

2. सम्मान–

(i) इस सम्मान के अन्तर्गत राज्य स्तर पर निम्नानुसार श्रेणी में पात्र व्यक्तियों/संस्थाओं को सम्मानित किया जायेगा–

- व्यक्तिगत पुरस्कार श्रेणी – 03 पुरस्कार (प्रथम, द्वितीय, तृतीय)
- संस्थागत पुरस्कार श्रेणी – 03 पुरस्कार (प्रथम, द्वितीय, तृतीय)
- सामाजिक दायित्व पुरस्कार श्रेणी – 03 पुरस्कार (प्रथम, द्वितीय, तृतीय)

(ii) प्रत्येक श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति/संस्था को प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह के साथ निम्नानुसार नगद राशि प्रदान की जायेगी–

- प्रथम पुरस्कार – राशि रूपये 51,000/–
- द्वितीय पुरस्कार – राशि रूपये 31,000/–
- तृतीय पुरस्कार – राशि रूपये 21,000/–

(iii) यह सम्मान वार्षिक रूप से प्रदान किया जायेगा।

(iv) यह सम्मान यथा संभव प्रतिवर्ष 14 नवम्बर (राष्ट्रीय बाल दिवस) को प्रदान किया जायेगा।

(v) यदि अनुशंषा समिति द्वारा कोई पात्र आवेदक नहीं पाया जाता है तो उस वर्ष के लिए पुरस्कार प्रदान न किये जाने के लिए स्वतंत्र है।

(vi) यह सम्मान किशोर न्याय निधि (बाल कल्याण कोष) में से किया जायेगा।

Scanned with CamScanner

3. पात्रता–

(i) निम्न श्रेणी के पात्र सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं हितधारकों को व्यक्तिगत पुरस्कार की श्रेणी में पुरस्कृत किया जायेगा–

- राजस्थान राज्य का मूल निवासी सामाजिक कार्यकर्ता (लोक सेवक के अतिरिक्त) जिसने कम से कम 07 वर्ष से सक्रिय होकर बाल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया हो।

- हितधारक (जिला बाल संरक्षण इकाई/चाईल्ड लाईन–1098) जिसने अपने कार्य–क्षेत्र में बाल संरक्षण हेतु विशिष्ट कार्य किया हो।

(ii) निम्न श्रेणी के पात्र स्वयंसेवी संस्थाओं एवं बाल देखरेख संस्थान संचालित करने वाली राजकीय/गैर राजकीय संस्थाओं को संस्थागत पुरस्कार श्रेणी में पुरस्कृत किया जायेगा–

- राज्य में कम से कम 05 वर्ष से पंजीकृत होकर स्वयंसेवी संस्था (सोसायटी/ ट्रस्ट) द्वारा बाल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया हो।

- राज्य में कम से कम 05 वर्ष से पंजीकृत बाल देखरेख संस्थान संचालित करने वाली राजकीय/गैर राजकीय संस्था जिसने आवासित बच्चों के लिये गुणवत्तापूर्ण सुविधायें अथवा कोई नवाचार या सामुदायिक सहभागिता का प्रोत्साहन या पुनर्वास हेतु विशेष प्रयास या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सूचकों पर बेहतर कार्य निष्पादन पर उल्लेखनीय कार्य किया हो।

(iii) बाल देखरेख सेवाओं के सुदृढ़ीकरण में भामाशाह (कॉरपोरेट घराने (सी.एस.आर)/ बैक/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्थानीय दानदाता) द्वारा विशिष्ट सहयोग उपलब्ध कराने के लिये सामाजिक दायित्व पुरस्कार श्रेणी में पुरस्कृत किया जायेगा।

4. प्रक्रिया एंव मूल्यांकन–

(i) सम्मान के लिए आवेदन निर्धारित प्रारूप के अनुसार ऑनलाईन ही स्वीकार होगें।

(ii) इस प्रयोजन हेतु राज्य स्तर के प्रमुख समाचार पत्र में विज्ञापन/विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी। विभिन्न मीडिया माध्यमों, विभागीय पोर्टल, वेबसाइट आदि पर पर्याप्त प्रचार–प्रसार किया जायेगा।

(iii) सम्मान के लिए प्रतिवर्ष जुलाई माह में विज्ञप्ति जारी कर एक माह में आवेदन प्राप्त किये जायेगें। प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा 15 दिवस में सुनिश्चित की जायेगी।

Scanned with CamScanner

5. अनुशंषा समिति–

(i) सम्मान के विचारण एवं अभिशंषा हेतु निम्नानुसार स्थाई समिति संक्षम होगी–

1.	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत (गैर राजकीय)	अध्यक्ष
2.	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत विशेषज्ञ (5 गैर राजकीय)	सदस्य
3.	शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	सदस्य
4.	आयुक्त / निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग	सदस्य सचिव

(ii) अनुशंषा समिति के गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन प्रतिवर्ष होगा। चयन समिति के किसी सदस्य की मृत्यु अथवा त्यागपत्र दिये जाने पर उसके शेष कार्यकाल के लिए अन्य किसी सदस्य का मनोनयन किया जायेगा।

(iii) अनुशंषा समिति की बैठक न्यूनतम पांच सदस्यों की उपस्थिति में ही मान्य होगी।

(iv) अनुशंषा समिति अपनी अनुशंषा यथा समय पर करेगी।

6. **सम्मान हेतु समारोह का आयोजन–**

(i) यह सम्मान प्रतिवर्ष 14 नवम्बर को (यथा संभव) राज्य स्तरीय आयोजित समारोह में प्रदान किया जायेगा।

(ii) सम्मान प्राप्त करने से पूर्व प्राप्तकर्ता की मृत्यु हो जाने पर क्रमशः निम्नानुसार सम्मान प्राप्ति के अधिकारी होगे–

1. पति / पत्नि 2. पुत्र–पुत्री 3. माता–पिता 4. अन्य विधिक वारिस

7. **क्रियान्वयक एजेन्सी / विभाग–**

(i) सम्मान के लिए आद्योपान्त प्रक्रिया संपादित किये जाने हेतु राज्य सरकार का बाल अधिकारिता विभाग नोडल एजेन्सी होगा।

Scanned with CamScanner